

कार्यालय:-जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास),रामपुर।

पत्रांक

/जि0का0अधि0/आ0बा0चयन/2025-26

दिनांक-13 नवम्बर, 2024

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-2025/3313/ 58-1-2025(1917687)/दिनांक-17 सितम्बर, 2025 का में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद रामपुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	कुल योग
1	स्वार ग्रामीण	93	62	36	00	191
2	मिलक	80	43	38	00	161
3	शाहाबाद	89	42	31	01	163
4	बिलासपुर	68	28	26	00	122
5	चमरौआ	41	18	19	00	78
6	सैदनगर	50	17	17	00	84
7	रामपुर शहर	62	32	20	00	114
8	स्वार शहर	27	16	11	00	54
कुल योग		510	258	198	01	967

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड एवं बाल विकास परियोजना इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

- विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- रिक्त पदों पर आंगनवाड़ी सहायिका की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होंगी। तथा मेरिट सूची इण्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर बनायी जायेगी।
- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा को स्थाई निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।
- दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के समबन्ध में हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी।
- चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिव तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/ परित्यक्ता के समबन्ध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगा।

Shy

- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहर क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहर क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- उस ग्रामसभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-09 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
- आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म किया गया हो। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फॉर्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 05.12.2025 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।
- उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पद पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, कमरा नम्बर-25, विकास भवन से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

भवदीय

(धर्मेन्द्र कुमार मिश्र)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
रामपुर।

पृष्ठांकन सं०—C-9389—तद् दिनांक 13/11/2018—
प्रतिलिपि:—निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—
1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, रामपुर।

3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, रामपुर।
4. समस्त, उपजिलाधिकारी महोदय, रामपुर।
5. समस्त, तहसीलदार महोदय, रामपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ उक्त विज्ञप्ति को निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. समस्त, खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर।
8. समस्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी रामपुर।
9. संपादक, दैनिक जागरण, रामपुर
10. संपादक, दैनिक हिन्दुस्तान, रामपुर।
11. कार्यालय पत्रावली हेतु।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
रामपुर।